

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रपत्र संख्या - 4

क्रम संख्या

मृत्यु की सूचना

ग्राम सभा/टाउन एरिया विकास खण्ड..... जिला

1- मृत्यु का दिनांक

2- मृतक का पूरा नाम

3- पिता/पति का नाम

4- मृत्यु का स्थान

5- आयु

6- लिंग(पुरुष/महिला)

7- राष्ट्रीयता

8- धर्म

9- स्थायी निवास-स्थान का पता

10- मृत्यु का कारण

11- क्या मृत्यु चिकित्सीय रूप से प्रमाणित की गयी (हां/नहीं)

12- किस प्रकार की चिकित्सा संबन्धी देख-रेख की गयी, यदि की गई हो

13- सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम

14- सूचना देने वाले व्यक्ति का पता

दिनांक

सूचना देने वाले व्यक्ति का
हस्ताक्षर अथवा बायें हाथ
के अंगूठे का निशान

प्रपत्र संख्या 10
(नियम 9 देखिये)

उत्तर प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य विभाग
मृत्यु का प्रमाण पत्र

जन्म और मृत्यु
रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा
12 के अधीन जारी किया गया/धारा
धारा 17 के अधीन जारी किया गया

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गयी है
जोराज्य के जिले के
तहसील केके रजिस्टर में है।

(स्थानीय क्षेत्र)

नाम

राष्ट्रीयता

लिंग

स्थायी पता

मृत्यु का दिनांक

रजिस्ट्रीकरण संख्या

मृत्यु का स्थान

रजिस्ट्रीकरण का दिनांक

पिता/माता/पति का नाम

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

दिनांक

टिप्पणी - मृत्यु की दशा में मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में विशिष्टियां जैसा कि रजिस्टर में प्रविष्ट
है, प्रकट नहीं की जायेगी।

उपधारा 17(1) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड